

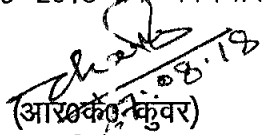
निदेशालय, माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड, ननूरखेड़ा, देहरादून

संख्या: सेवायें-1 / 752 / 2(3)पदो/2018-19 दिनांक 27 अगस्त, 2018

— विज्ञप्ति—

निदेशालय के आदेश संख्या: सेवायें-1/559/2(3) पदो/2018-19 दिनांक 20 जुलाई, 2018 के द्वारा शैक्षिक अध्यापन (अधीनस्थ राजपत्रित) सेवा में प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका के पदों पर पदोन्नति प्रदान की गयी थी। उक्त पदोन्नति आदेश में निर्देशित किया गया था कि पदोन्नत शिक्षक आदेश निर्गत होने की तिथि 15 दिन के भीतर नवीन पदोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण करें अन्यथा निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत कार्यभार ग्रहण न किये जाने की दशा में यह पदोन्नति स्वतः ही निरस्त समझी जायेगी। परन्तु कतिपय शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा निर्धारित समयावधि के भीतर कार्यभार ग्रहण न करते हुए समयवृद्धि हेतु प्रत्यावेदन प्रस्तुत किये गये हैं।

अतः सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि जिन शिक्षक/शिक्षिकाओं के द्वारा पदोन्नति के फलस्वरूप अभी तक प्रधानाध्यापक/प्रधानाध्यापिका पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया गया है, उन्हें पदोन्नत पद पर दिनांक 04-09-2018 तक कार्यभार ग्रहण करने हेतु अन्तिम अवसर प्रदान किया जाता है।

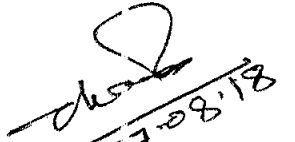

(आर०के० कुंवर)
निदेशक

पृ०सं०:सेवायें-1 / 15181-83

/2(3)पदो/2018-19 तददिनांक।

प्रतिलिपि— निम्नांकित को इस आशय से प्रेषित कि कृपया उक्त विज्ञप्ति आप दिनांक 28-08-2018 के अपने दैनिक समाचार पत्र (हिन्दी) के उत्तराखण्ड संस्करण में 48 वर्ग से०मी० डी०ए०वी०पी० दरों पर प्रकाशित करने का कष्ट करें साथ ही भुगतान हेतु विल निदेशालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

- 1—सम्पादक, हिन्दुस्तान, देहरादून।
- 2—सम्पादक, अमर उजाला, देहरादून।
- 3—सम्पादक, दैनिक जागरण, देहरादून।


(आर०के० कुंवर)
निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, उत्तराखण्ड।